भारत में गरीबी, कानून और नीतियाँ : मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में

पवन कुमार*

सारांश

विविधताओं में एकता को सदियों से अक्षुण्ण बनाये रखने वाले विश्व में एकमात्र ''भारतीय समाज'' है। भारतीय समाज विश्व के अन्य समाजों से इस अर्थ में विलक्षण है कि इसमें विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं का अद्‌भुत सामंजस्य है। मानव विकास रिपोर्ट सन् 2014 के अनुसार 800 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। अति गरीब की श्रेणी में समाज का वह समूह आता है जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वथा असुरक्षित है। ऐसे समूहों में भिखारी, एच०आई०वी० पीड़ित, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, अवैध प्रताड़ित लोग, खास कर महिलाऐं, मानसिक विकलांग, कुष्ठ रोगी, बहु विकलांगता के शिकार व्यक्ति, अनाथ बच्चे, फुटपाथ पर रहने वाले लोग आदि शामिल है। गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न विधियों एवं कार्य–योजनाओं को समय–समय पर पारित किया गया है। जिससे कि मानव अधिकारों की अवधारणा को सही ढ़ंग से प्राप्त किया जा सके क्योंकि मानवाधिकार व्यक्ति को न केवल जीने का उत्साह देते हैं वरन् उस उत्साह में और अधिक संवेदना लाने में मददगार होते है।

इस शोध पत्र में भारत में गरीबी और उसके कारणों का विश्लेषण किया गया है तथा गरीबी उन्मूलन से संबन्धित कानून, नीतियों और कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया है।

मूल शब्दः– गरीबी, कानून और नीतियाँ, मानवाधिकार।

अध्ययन के उद्‌देश्य :–

1. गरीबी और उसके कारणों का विश्लेषण करना।
2. गरीबों के मानवाधिकारों का अवलोकन करना।
3. गरीबी उन्मूलन से संबंधित कानून, नीतियों और कार्यक्रमों का अध्ययन करना।

शोध कार्यविधिः–

प्रस्तुत शोध पत्र विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण पर आधारित है तथा इससे सम्बन्धित तथ्यों का संकलन द्वितीयक स्रोतों के रूप में विभिन्न पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वार्षिक रिपोर्ट का प्रयोग किया गया साथ ही शोध पत्र में मुख्यतः ऐतिहासिक वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है

प्रस्तावना :–

विविधताओं में एकता को सदियों से अक्षुण्ण बनाये रखने वाले विश्व में एकमात्र ''भारतीय समाज'' है। भारतीय समाज विश्व के अन्य समाजों से इस अर्थ में विलक्षण है कि इसमें विभिन्न धर्मों, सांस्कृतियों और भाषाओं का अद्‌भुत सामंजस्य है। फिर भी अनेक विविधताओं में जीने वाले लोग किसी न किसी तरह एक सूत्र में बंधे हुए हैं वे सभी भारतीय हैं। भारतीयता की यह व्यापक अवधारणा चलती रही और समाज के ताने–बाने को सुदृढ़ करती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम उन व्यापक भारतीय सरोकारों के प्रति सचेत रहे जो सबके लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं। इस दृष्टि से मानव–अधिकारों पर विचार–विमर्श और चिंतन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

*शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
e-mail : pawansaklani077@gmail.com

Note : This paper is presented at National Seminar on 20 Dec. 2017 Org. By.: UGC Human Resource Development, Kumaun University, Nainital.

आज सम्पूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था को आदर्श राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में न केवल अंगीकर किया है, अपितु उसे अपने जीवन में आत्मसात किया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है कि वह सभी के लिए समानता का अवसर, जीवन स्तर सुधारने के लिए अपनी तरफ से पहल करें।

21वीं सदी में कदम रखने के साथ आज भारत आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक दृष्टि से अग्रणी देशों में गिना जाने लगा हैं। स्वतन्त्रता मिलने के बाद पिछले छः दशकों में समाज का खाका बदला है। सामाजिक–राजनैतिक समीकरण बदले हैं तथा मध्य वर्ग का उदय हुआ है इसके साथ सूचना क्रान्ति ने जीवन गति तीव्र की है और साथ ही कई समस्याओं को भी जन्म दिया है। वर्तमान में मानव जाति के सामने सबसे बड़ी समस्या सम्मानपूर्वक जीवन–यापन की है इन्हें सम्मानपूर्वक जीवन की राह दिखाने का नाम ही ''मानवाधिकार'' है।

10 दिसम्बर को पूरे देश में औपचारिक तरीके से मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। लेकिन सच्ची शांति और आजादी तभी हासिल की जा सकती है, जब हम हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करें और ऐसी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था कायम करें जो सबके लिए समान और न्यायपूर्ण हो। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो घोषणापत्र जारी किया है वह भले ही सभी राष्ट्रों पर बाध्यकारी न हो, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा होने के नाते यह दुनिया के सभी देशों पर अपने देशवासियों के लिए मौलिक अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने का नैतिक दबाव बनाता है।

एक स्वतंत्र देश के रूप में हमारा देश भी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है, लेकिन व्यवहार में उन्हें यहाँ लागू करना आसान नहीं है। दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहाँ भारत जितनी विभाजनकारी और विविधतापूर्ण प्रवृत्तियाँ मौजूद हो यहाँ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और लिंग के अलावा आर्थिक और शैक्षिक भेद भी व्याप्त हैं। जब हम भारतीय समाज के संदर्भ में मानवाधिकारों की चर्चा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में यहाँ की सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित लिंग तथा जातिगत भेदभाव, छुआ–छूत, अस्पृश्यता की भावना साकार हो उठती है। मानवाधिकार और उनकी रक्षा एक सार्वभौमिक तथ्य है। मानवाधिकार के संरक्षण व उनके प्रति आदर चिंता आज समय की आवश्यकता है।

भारत में गरीबी और उसके कारणः–

आज जहाँ हमारी नारियाँ सशक्तिकरण के मार्ग पर सतत् अग्रसर हैं, वहीं बड़ी तादाद में बच्चे अभी भी बुनियादी शिक्षा से वंचित है तथा मजदूरी करने के लिए विवश हैं। वृद्धजनों और विकलांगों की दीर्घकालिक तथा सतत् देखभाल करने वाली हमारी मशीनरी और संस्थाएँ अब भी बेहद सतही हैं। अति गरीबी की श्रेणी में समाज का वह समूह आता है जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से असुरक्षित है। ऐसे समूहों में भिखारी, किन्नर, एच०आई०वी० पीड़ित, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, अवैध रूप से प्रताड़ित लोग, खासकर महिलाएँ, मानसिक विकलांग, कुष्ठ रोगी, बहु–विकलांगता के शिकार व्यक्ति, देह व्यापार वाले इलाके में रहने वाले बच्चे, अनाथ बच्चे फुटपाथ पर रहने वाले लोग, आदि शामिल हैं। ऐसे लोगों की बदहाली इतनी अधिक है कि वे अमानवीय स्थिति में जीवन बसर करने को मजबूर हैं।

गरीबी बहुत–सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसलिए गरीबी की समस्या को हल करने के लिए स्वयं गरीबी की संकल्पना से परे जाना होगा। यह जानना काफी नहीं कि कितने लोग गरीब हैं, बल्कि यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि गरीब लोग कितने गरीब है।

वर्तमान में 29.8 प्रतिशत भारतीय आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। गरीब की श्रेणी में वे लोग आते है जिनकी दैनिक आय शहरों में 28.65 रूपये और गाँवों में 22.24 रूपये से कम है। पिछली सरकार के दौरान तेंदुलकर कमेटी ने बताया कि 2009–10 में गरीबों की आबादी 29.8 प्रतिशत थी, जो 2011–12 में घटकर 21.9 फीसदी रह गई। लेकिन अब रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट इसे खारिज करती है। उसके मुताबिक 2009–10 में 38.2 फीसदी लोग गरीब थे। 2011–12 मे घटकर 29.5 फीसदी लोग ही गरीब रह गए। यानी हर 10 में से 3 व्यक्ति गरीब हैं।

भारत में अब भी ऐसे कई लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं और एक समय के भोजन के लिए भी पूरा दिन भीख मांगते हैं। गरीब बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं यदि जाते भी हैं तो एक साल में ही छोड़ देते हैं। यह स्पष्ट है कि जो बच्चे गरीबी में जीते है वो जिन्दगी में अन्य मुसीबतें भी झेलते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग गंदे हालत में रहते हैं और बीमारियों का शिकार बनते हैं। इसके साथ खराब सेहत, शिक्षा की कमी और बढ़ती गरीबी का यह दुष्चक्र चलता रहता है।

भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या दर है। इससे निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएँ और वित्तीय संसाधनों की कमी की दर बढ़ती है। इसके अलावा उच्च जनसंख्या दर से भी प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती हैं तथा प्रति व्यक्ति आय घटती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी सन् 2026 तक 1.5 बिलियन हो सकती है। भारत की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही। इसका नतीजा होगा नौकरियों की कमी।

बुनियादी वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतें भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा पूरे दिन मेहनत करने वाले अकुशल कारीगरों की आय भी बहुत कम है। देश में बढ़ते पूँजीवाद के कारण नव–उदारवादी नीतियों तथा खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की नीतियाँ गरीबों के लिए अहितकर सिद्ध हुई है। नेताओं व अधिकारियों के बढ़ते वेतन और सुविधाएँ तथा उनके द्वारा एकत्रित अरबों की सम्पत्ति से अमीरी और गरीबी की खाई दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं तथा इस पर अरबों रूपये खर्च किये जा रहे हैं। किन्तु इनका पूरा लाभ गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है।

भारत में गरीबी के तथ्य :–

हमारे देश में गरीबी रेखा का सम्बन्ध कैलोरी के उपभोग की मात्रा मे जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्तियों को गरीब माना जाता है। सर्वप्रथम 1960–61 में उन लोगों को निर्धन तथा गरीबी की श्रेणी मे रखा गया जो न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने हेतु आवश्यक आय जुटाने में असमर्थ थे।

1960–61 में 20 रूपये से कम मासिक आय से निर्वाह क्षमता करने वाले लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे रखा गया । 1968–69 में यह राशि 40 रूपये, 1973–74 में 49.9 रूपये ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 56.6 रूपये शहरी क्षेत्रों में, 1976–77 में प्रचलित कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 61.5 तथा शहरी क्षेत्रों में 71.3 तथा 1991–92 में 181.5 तथा शहरी क्षेत्रों में 209.5 रूपये निर्धारित की गई। योजना आयोग ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय को बताते हुए कहा है कि देश में 40 करोड़ 75 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा क्रमशः प्रतिमास प्रतिव्यक्ति 965 रूपये तथा प्रतिदिन लगभग 32 रूपये ग्रामीण क्षेत्रों में 78, रूपये प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति तथा प्रतिदिन लगभग 26 रूपये प्रतिव्यक्ति तय की गई है। भारत में गरीबी की पूर्ण प्रवृत्ति का संक्षिप्त विश्लेषण तालिका 1.1 के माध्यम से दिखाया गया है।

तलिका 1.1

सम्पूर्ण भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली जनसंख्या (करोड़ में)

साल	गाँव	शहर	सम्पूर्ण भारत
1973–74	26.1	6.0	32.1
1977–78	26.4	6.5	32.9
1983–84	25.2	7.1	32.3
1987–88	23.2	7.5	30.0.
1993–94	24.4	7.6	32.0
1999–2000	19.3	6.7	26.0
2007	17.0	3.0	20.0
2011	––	––	10.0

स्रोतः – आर्थिक सर्वेक्षण 2002–03 एवं 2010–11, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना।

मानव विकास रिपोर्ट सन् 2014 के अनुसार 800 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

गरीबी बहुआयामी हैः–

सामाजिक विकास पर "विश्व शिखर सम्मेलन" में कोपेनहेगन घोषणा के रूप में गरीबी का वर्णन इस प्रकार है– "भोजन, आवास, स्वच्छ पेयजल, साफ–सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सूचना आदि का गंभीर अभाव ही गरीबी है"।

हमारे देश में हर आदमी और औरत को भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं के मानव अधिकार उपलब्ध कराए गए है। ये बुनियादी मानव अधिकार हमारे संविधान में भी परिभाषित है। एक आम मानक के रूप में सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने मानव अधिकारों को अपनाया और इनकी घोषणा की।

गरीबों के मानवाधिकारः–

मानव अधिकार जैसे की गरिमा से रहना तथा अभाव से मुक्त जिन्दगी जीना इत्यादि अपने आप में मौलिक अधिकार हैं और अन्य सभी मानव अधिकारों जो कि सार्वभौमिक अविभाज्य, परस्पर और स्वतन्त्र अधिकार होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। गरीबी मानव अधिकार का उल्लंघन है। गरीबी मुक्त अधिकारों में निम्न अधिकार सम्मिलित है। जीने का एक पर्याप्त मानक के रूप में मानव अधिकार, काम करने और मजदूरी प्राप्त करने का मानव अधिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण के लिए मानव अधिकार, पर्याप्त आवास में रहने का अधिकार, भूख मुक्त रहने का अधिकार, सुरक्षित पानी पीने का अधिकार, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और बीमारी में चिकित्सा सहायता का मानव अधिकार, बुनियादी सामाजिक सेवाओं को उपयोग करने का मानव अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का मानव अधिकार, लिंग और जातीय भेदभाव से मुक्त जीवन का मानव अधिकार, बच्चों को एक उपयुक्त वातावरण में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास होना भी मानव अधिकारों में शामिल है।

गरीबी उन्मूलन के लिए कानूनः–

गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत से कानून हमारे भारत देश में अधिनियमित किए गए हैं। कुछ कानून सीधे तो कुछ परोक्ष रूप में गरीबी उन्मूलन में सहायता करते हैं।

1 सिविल प्रक्रिया संहिताः–

सिविल प्रक्रिया संहिता में गरीबों के लिए कुछ प्रावधान हैं। निर्धन व्यक्तियों द्वारा सूट, बचाव के साथ–साथ मुफ्त कानूनी सेवाएँ, सी0 पी0 सी0 के आदेश में प्रदान की गई है। इसके अलावा निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील का प्रावधान सी0 पी0 सी0 के आदेश में उपलब्ध कराया गया है।

2 अपराधिक प्रक्रिया संहिताः–

कुछ मामलों में राज्य के खर्चे पर गरीब आरोपियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 304 सुनिश्चित करती हैं। सी0 आर0 पी0 सी0 के अध्याय के अनुसार यदि निर्धन आरोपी जमानत प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं तो उसकी रिहाई निजी मुचलके पर भी की जा सकती है।

3 विभिन्न अन्य कानून :–

विभिन्न श्रम कानूनों जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976, बालश्रम अधिनियम 1986, इत्यादि, उपरोक्त कानून गरीबी की समाप्त करने को दिशा में कुछ उदाहरण मात्र है।

गरीबी उन्मूलन से संबधित नीतियाँ और कार्यक्रमः–

राष्ट्रीय श्रम आयोग :–

1969 में पहले श्रम आयोग की स्थापना के तीन दशक बाद मौजूदा श्रम कानूनों को संगत युक्त बनाने के लिए 1998 में दूसरे एन0सी0एल0 आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम स्तर पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया।

प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमः–

इस कार्यक्रम का शुभारंभ 1987 में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कृषि, पशुपालन, डेयरी, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे परंपरागत क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षण देने का प्रयास किया गया।

रोजगार आश्वासन योजनाः–

इस योजना की शुरूआत 1993 में की गई तथा इनका पुर्नगठन 1999–2000 में बी0पी0एल0 ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त मजदूरी दिलाने के लिए किया गया।

4 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमः–

इस कार्यक्रम की शुरूआत 2 फरवरी, 2006 को की गई। इससे रोजगार–सृजन में मदद मिलती है। यह निर्धनता–निवारण में योगदान देता है। लेकिन इसका अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में ताल–मेल बैठाना लाभदायक होगा।

5 सार्वजनिक वितरण प्रणालीः–

इस प्रणाली के तहत गरीब लोगों की खाद्य सुरक्षा आश्वस्त करने के लिए लगभग 4 लाख उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए। इस प्रणाली को कुछ एक राज्यों में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया। सरकार अपने बजट का लगभग 3 प्रतिशत इस प्रणाली पर खर्च करती हैं।

6. मध्याह्न भोजन योजनाः–

इस योजना के तहत प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इन परियोजनाओं से 2.5 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष 2008–09 में प्राथमिक कक्षाओं के साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं के स्कूली बच्चों को शामिल किया गया।

7. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमः–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सीधा निर्धनों के जीवन को छूता है और सर्वसमावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को जीवनयापन की सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसके जरिए एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन के लिए मजदूरी पर रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। जिसमें परिवार के वयस्क सदस्य (18 वर्ष से अधिक आयु के) अकुशल शारीरिक श्रम के लिए अपनी इच्छा से शामिल होते है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2006–07 में शुरू कर सम्पूर्ण भारत वर्ष में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत विस्तार किया गया।

गरीबी को कम करने के लिए उपरोक्त पहलुओं के अलावा मूल्य समर्थन, भूमि सुधार, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कृषि सुधार की तकनीक, किसानों को मुफ्त बिजली, अनाज तथा बीज बैकिंग इत्यादि पहलू शामिल है। ये प्रयास न केवल गरीबी दूर करते है अपितु गरीबों को उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजने एवं उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने में भी सहायक है।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गरीबी उन्मूलन के सुझावः–

भारत में गरीबी पर बहस का मुद्दा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ज्यादातर बना हुआ है। गरीबी को यहाँ व्यय और पोषण के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। गरीबी की सामाजिक आयाम अध्ययन के क्षेत्र में उपेक्षा की गई है। कोई भी देश विकास का दावा नहीं कर सकता अगर कुछ वर्गों के लोग समाज के हाँशिए पर रहने को मजबूर हों गरीबों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव किए जा सकते हैः–

देश में बढ़ती गरीबी को देखते हुए इसके निराकरण हेतु हमारी सरकार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पशुपालन, वानिकी व सहायक उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए।

गरीबों को दो वर्गों में बाँटा जाए एक वर्ग में वे गरीब हो जिनके पास कोई कौशल है और वे स्वरोजगार कर सकते हैं। दूसरे वर्ग में वे गरीब हो जिनके पास कोई कौशल या प्रशिक्षण नहीं है और वे जो केवल मजदूरी पर ही आश्रित हैं, प्रत्येक वर्ग की उन्नति के लिए अलग–अलग नीति बनाई जाए।

हमें एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जिसमें अधिकारों और दायित्वों की जवाबदेही तय की जा सके। इसलिए मानव अधिकार दृष्टिकोण के तहत सभी कर्त्तव्य धारक, राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के सम्बन्ध में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। गरीबी निवारण कार्यक्रमों की प्रतिवर्ष समीक्षा व मूल्यांकन किया जाए। साधनों के निजी स्वामित्व, आय व साधनों के असमान वितरण व प्रयोग पर नियंत्रण किया जाए। गरीबी निवारण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ अमीरों के बजाय गरीबों को पहुँचाने का प्रयास किया जाए।

निष्कर्षः–

अन्त में कानून को अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। गरीब लोगों का कोई भी विवाद मनमाने ढंग से सुलझाने की बजाए विवेकशील सक्षम, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र प्रक्रिया के द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून का शासन सुनिश्चित करें कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी को भी दण्ड से मुक्ति नहीं मिले। उपर्युक्त विवेचना से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि मानवाधिकारों को चोट पहुँचाने वाले लक्षणों में सबसे महत्त्वपूर्ण है गरीबी।

संदर्भः–

1 मानव अधिकारः नई दिशाएँ, वार्षिक अंक–12, 2015
2 शर्मा शिवदत्त, मानव अधिकार, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार, 2006
3 सिविल प्रक्रिया संहिता,1908
4 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973
5 शर्मा जी0 एल0, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2015
6 साह बी0 एल0, एवं कलौनी कैलाश चन्द्र, मानवाधिकार, अंकित प्रकाशन, हल्द्वानी, 2016
7 अग्रवाल एच0 ओ0, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहबाद, 2014
8 मानव अधिकारः नई दिशाएँ, वार्षिक अंक– 13, 2016
9 यादव डी0 एस0, भारत में मानव अधिकार, आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2012
10 सोनू, भारत में गरीबीः कानून और नीतियाँ, मानव अधिकार, नई दिशाएँ, वार्षिक अंक–12, 2015
11 अहूजा राम, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2000
12 अहमद अनीस, गरीबी, मानवाधिकार एवं सतत् विकास– एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, मानव अधिकार, नई दिशाएँ, वार्षिक अंक– 12, 2015